

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्यप्रदेश]
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर
amg3hqrs.mp1.au@cag.gov.in

लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह-तृतीय के दल का दौरा कार्यक्रम

'Pilot study of PA on Performance of Madhya Pradesh Public Service Commission'

श्री सुनील कुमार झा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	श्री नवल किशोर त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	श्री प्रशांत अमरदीप सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	श्री अनिल कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
---	---	---	---

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	कार्य दिवस
	प्रस्थान: इंदौर	01	09.04.23
1	सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर	09	10.04.23 से 21.04.23
	प्रस्थान: ग्वालियर	02	21.04.23 (रात्रि)/22.04.23

विशेष निर्देश

- लीड पार्टी से उपर्युक्त अनुपालन लेखा परीक्षा की गाइडलाइन/ADM प्राप्त करें एवं अनुपालन करें।
- पंजीकर्त एवं अपंजीकर्त स्थापनाओं का निरिक्षण करना भी सुनिश्चित करें।
- PA के लिए कवरेज अवधि पाँच वर्ष (वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक) होगी। आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है।
- लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित योजना/कार्यों की समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र करेगा। निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आंवटन-व्यय, रोकड वहीं पंजियों फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी हार्ड एवं साफ्टकॉपी में एकत्र करें।
- लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दोबारा आधार जाधालेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े। वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए।
- लेखापरीक्षित इकाई में योजना एवं नियम अनुसार संधारित होने वाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं इकाई द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें। लेखापरीक्षा हेतु जिला /लेखा परीक्षित इकाई स्तर पर नोडल अधिकारी मनोनीत किया जाये।
- प्रधान महालेखाकार एवं उप महालेखाकार द्वारा दिए निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- लेखापरीक्षा दल के प्रभारी अधिकारी, दल के सदस्यों के बीच कार्यों का विभाजन कर कार्ड संराखित रखें ताकि निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्य सुगमता से किया जा सके।
- लेखापरीक्षा दल द्वारा किये गए ऑडिट सम्बन्धित दैनिक कार्य की जानकारी व.ले.प.अ./ए.एम.जी.-3(रिपोर्ट) को देना सुनिश्चित करें।
- Allotted work to be done following the guidelines issued in respect of covid-19.

(उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-3 के अनुमोदन से जारी)

Manoj Gupta 06/4/2023